

16  $\frac{6}{22}$

पत्रावली पेश। प्रार्थी की ओर से कोई  
उपस्थित नहीं। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को

खुले न्यायालय में का-का जो-जो  
से सजाए जाई गई। लेकिन फिर भी  
न्यायालय में उपस्थित नहीं। सतः यह  
पत्रावली अदम दायरी व अदम पेंची  
में खारेज भी जाती है। पत्रावली का  
तरीख तम्बील होना बाकिल हूफ्त है।

  
(अभिलेख)  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना